तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील मु.न. 02/2021 अनवान पवन कुमार बनाम सरपंच	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.10.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गई। रेस्पोडेन्टान अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलान्ट की उक्त अपील किसी प्रकार से अन्दर मियाद पेश नहीं है। अपीलान्ट की अपील टाईमबार्ड इसलिये अपीलान्ट की अपील इसी स्टेज पर चलने योग्य नहीं व खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गलत रूप से तथ्यो को छुपाते हुये पेश किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में इन्तकाल की जानकारी दिनांक 05.03.2020 को होनी बताई है, जो कि बिल्कुल ही गलत रूप से अपील पेश करने की नियत से गलत रूप से अंकित की है, क्योकि अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 415 की जानकारी वर्ष 2019 से ही थी। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक भी बड़ी चालाकी से 01.07.2020 अंकित की है, जबकि अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.07.2021 को पेश की गई थी यानि अपीलान्ट ने जानकारी से करीब 1 वर्ष 4 माह बाद उक्त अपील पेश की है, जो किसी भी तरह से अन्दर मियाद पेश नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हीराराम के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा धारा 420 भा.द.स. के तहत दर्ज करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाने हेतु अपीलान्ट दिनांक 17.03.2020 को थाना पुलिस श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था, जिसमें हीराराम के विरूद्ध चालान भी पेश हुआ है, जो अभी जैरकार है। रेस्पोडेन्ट हीराराम ने एक दावा हीराराम बनाम ताजाराम के नाम से न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष पेश किया था, जिसमें अपीलान्ट पवन ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 23.07.2012 को प्रार्थना पत्र भी पेश किया था व दिनांक 23.02.2015 को अपीलान्ट ने जबाब दावा भी पेश किया था, जिससे यह भलीभांति स्पष्ट है कि अपीलान्ट को इन्तकाल की जानकारी शुरू से थी, अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.03.2020 से जनता कर्फ्यू व लॉकडॉउन का हवाला दिया हैं, मगर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी अपीलान्ट ने अपील समयावधि में पेश नहीं की है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अपील क्यों नहीं पेश की, इसका स्पष्टीकरण भी अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को ही स्पष्ट करना होता है। जानकारी की दिनांक से भी अपील किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद पेश नहीं। अपीलान्ट की अपील कानूनी रूप से टाईमबार्ड होने से चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है। अपील मियाद से सम्बन्धित कानूनी बिन्दू है । मूल अपील में सुनवाई करने से पूर्व मियाद के कानूनी बिन्दू पर पहले सुनवाई की जानी कानूनी रूप से आवश्यक है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पहले सुनवाई कर अपीलान्ट की अपील मियाद अधिनियम के तहत अवधि के भीतर पेश नहीं होने	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के कारण इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्टान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021(2) पृष्ठ संख्या 850 से 855, आरआरटी 2018–19(supp.) 219 से 225, आरआरटी 2018–19(supp.) पृष्ठ संख्या 119 से 122, आरआरटी 2018–19(supp.) पृष्ठ संख्या 73 से 247, आरआरटी 2020(1) पृष्ठ संख्या 249, आरआरटी 2021(1) पृष्ठ संख्या 524 से 527, आरआरटी 2021(1) पृष्ठ संख्या 385 से 389 माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट बैंच जयपुर 2015(2)डीएनजे(राज.) पृष्ठ संख्या 774 से 781, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंण्डिया 2007 डीएनजे(sc) पृष्ठ संख्या 366 से 369 पेश की गई।

अपीलान्ट अधिक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए अपील में अंकित तथ्यों एवं अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के निर्णय दिनांक 10.01.2022 की प्रति पेश की गई।

हमने उभयपक्षकान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन करनें से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपील अपीलान्ट मियाद बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्ट विलम्ब संतोषप्रद ढंग से स्पष्ट नहीं कर पायें है/करनें में असमर्थ रहे। लिहाजा मियाद बिन्दु पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को हिदायत दी जाती है कि वो नियमित वाद पेश कर अपनी चाराजोही करे।

आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:07:04 IST
Reason: SelfAttested